न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी, जिला दूदू

पीठासीन अधिकारी :– श्री राकेश कुमार II (आर.ए.एस.)
प्रार्थना पत्र संख्या :– 30/2014
निर्णय दिनांक :– 26.07.2024

1. राकेश पुत्र कानाराम
2. सीताराम पुत्र नाथूराम
   समस्त जाति बैरवा निवासी सांवा का बास तहसील फागी जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार तहसील फागी जिला जयपुर।
2. ग्राम पंचायत पचाला तहसील फागी जयपुर।
3. पांचू पुत्र लादूराम बैरवा निवासी सांवा का बास तहसील फागी।

अप्रार्थीगण

उपस्थित विद्वान अधिवक्ता :– श्री पुरूषोत्तम शर्मा वकील प्रार्थी
श्री सीताराम सैनी वकील अप्रार्थी सं0 2
पैरोकार सरकार अप्रार्थी सं0 1

प्रार्थना पत्र बाबत किये जाने तरमीम

निर्णय दिनांकः 26.07.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 108/1 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, 104/1 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 104/2 रकबा 6 बीघा की भूमि वाके ग्राम सांवा का बास तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है। आराजी खसरा नम्बर 104/1 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा खसरा नम्बर 108/1 के लगवा स्थित है, जो आबादी भूमि में है, जिसमें प्रार्थीगण ने बाडा, मकानात आदि बनाकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है। एवं खसरा नम्बर 104/2 रकबा 6 बीघा खातेदारी की भूमि है। उक्त विवादित खसरा नम्बर का मूल खसरा नम्बर 104 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा था, जिसमें से खसरा नम्बर 104/1 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा आबादी भूमि के लगवा खसरा नम्बर 108 के लगवा आबादी भूमि में परिवर्तित कर दिया गया था, जिसमें प्रार्थीगण काफी वर्षो से निवास/बाडा बना कर उपयोग उपभोग में लेते आ रह है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में नजरी नक्शा तरमीम नहीं होने के कारण अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थीगण को उनके कब्जे से बेदखल करने की कोशिश करते रहते है एवं आये दिन हैरान परेशान करते है इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। अप्रार्थीगण का प्रार्थी के कब्जेशुदा बाडा, मकान आदि से कोई सम्बंध व

लगातार.....2

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

सरोकार नही है लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के बाडे मकानात आदि से नजरी नक्शे मे तरमीम नही होने की वजह से बेदखल करने पर उतारू है, इस उदेश्य की पूर्ति हेतू दिनांक 22.6.2014 को अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के मकान, बाडे पर आये और आते ही प्रार्थीगण को उनके मकान, बाडे से बेदखल करने पर उतारू गये जिस पर प्रार्थीगण ने विरोध किया तो अप्रार्थीगण ने ऐलानिया धमकी दी कि उक्त भूमि खातेदारी भूमि है, जिसमें तुम्हारा कोई लेना देना नही है, ना ही नजरी नक्शे में तरमीम हो रखी हैं, इसलिए तुम्हे तुम्हारे कब्जे से बेदखल कर दूंगा, ऐसी स्थिति में उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। अप्रार्थीगण अपने उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति में सफल हो गये तो प्रार्थीगण को तालाफी नुकसान होगा, खर्चे से जेरबार होंगे, जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकेगी ऐसी स्थिति में उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। विवादित भूमि श्रीमान के क्षेत्राधिकार स्थित होने से सुनवाई श्रवणाधिकार श्रीमान न्यायालय को प्राप्त है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण की जारी की गई। अप्रार्थी संख्या 1 पैरोकार सरकार उपस्थित आये तथा जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। पैरोकार सरकार ने अपने जवाब के तथ्यों में बताया कि ग्राम सावांकाबास आराजी ख.नं. 108/1 रकबा 1.13 बीघा सिवायचक आबादी भूमि व ख.नं. 108/2 रकबा 1.18 बीघा सिवायचक गै.मु. तथा ख.नं. 104/1 रकबा 2.02 बीघा सिवायचक एवं ख.नं. 104/2 रकबा 6.00 बीघा भूमि खातेदार पांचू पुत्र लादू जाति बैरवा सा. सावांकाबास के नाम दर्ज रिकार्ड है जिसकी नकल जमाबंदी व नक्शा संलग्न है। ख0नं0 108/1 सिवायचक आबादी के लगवा ख.नं. 104 मूल रूप से 8.02 बीघा भूमि का है जिसमें मुताबिक रिकार्ड ख.नं. 104/1 रकबा 2.02 बीघा सिवायचक गै.मु. आबादी है एवं ख.नं. 104/2 रकबा 6.00 बीघा भूमि पांचू पुत्र लादू कौम बैरवा की खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड है। नक्शा लट्ठा में ख0नं0 104/1 व 104/2 की विवाद के चलते तरमीम नहीं हुई है। वादीगण के बाडे मकानात मूल नं. 108/1 व उसके लगवा ख.नं. 104 में स्थित है। ख.नं. 108/1 सिवायचक आबादी भूमि रकबा 1.13 बीघा भूमि के लगवा तरमीम रहित ख.नं. 104/1 रकबा 2.02 बीघा आबादी भूमि स्थित है। वादी का ख.नं. 104/1 की तरमीम नहीं होना कहकर अपना गैर कानूनी कब्जा बनाये रखने की कुत्सित कोशिश है। वादीगण की स्थिति न तो खातेदार की है ना ही वह ग्राम पंचायत का प्रतिनिधि है। प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य हैं।

वकील प्रतिवादी संख्या 3 उपस्थित आये और जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 104/1 व 108/1 आबादी भूमि होना स्वीकार है तथा खसरा

लगातार.....3

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

उपखण्ड अधिकारी फागी सत्यमेव जयते जिला – दूदू

नम्बर 104/2 रकबा 06 बीघा अप्रार्थी संख्या 3 की खातेदारी काश्त की भूमि स्वीकार है। शेष कथन गलत है, अस्वीकार है। मूल खसरा नंबर 104 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा में से 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि खसरा नम्वर 108 के उत्तरी पूर्वी और मुताबिक नजरी नक्शा का प्रस्ताव लिया जाकर तत्समय ही सेटअपाट सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया है, जिसके अनुरूप पटवार हल्का मुताबिक प्रस्ताव एवं मुताबिक नजरी नक्शा से सेटअपाट की कार्यवाही की कार्यवाही की जानी चाहिये थी परन्तु बटटा नम्बर डालकर अहलदा जमाबन्दी कायम कर दी गई तथा नक्शा ट्रेश हाल ही बीघा बिस्वा से वर्गमीटर हैक्टेयर नवीन राजस्व रिकार्ड कायम करते समय मुताबिक प्रस्ताव व सेटअपाट के अनुरूप मौके व कब्जे के अनुरूप आबादी बसावट में तरमीम कायम कर दी गई है, इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत करवाये जाने तरमीम अनफिक्शीस होने से काबिले खारिज है। खातेदार काश्तकार ही तरमीम की कार्यवाही बाबत अनुतोष हेतु सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार नहीं है, इसलिये कानूनन प्रार्थना पत्र मेन्टेबल नही है। प्रार्थीगण ने अपने तथाकथित बाडा मकान की तरमीम की याचना की है, कानूनन आबादी भूमि या मेर आबादी में अवैधानिक रूप से तथाकथित अतिक्रमणो की तरमीम बाबत अनुतोष प्रदान नही किया जा सकता है। प्रार्थीगण का प्रार्थना बाबत किये जाने तरमीम मय हर्जा खर्चा खारीज किये जाने के आदेश फरमावे।

अप्रार्थी सं0 2 को जबाब हेतु काफी अवसर दिये जाने के बाबजूद भी जबाब पेश नही किया। अप्रार्थी सं0 2 का जबाब बन्द किया गया।

प्रार्थना पत्र बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गयी। प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

अप्रार्थी सं0 3 के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अपने जबाब के तथ्यो को दोहराते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तरमीम दुरूस्ती बाबत प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 पैरोकार सरकार ने भी अपने जवाब में बताया है कि आराजी ख.नं. 108/1 रकबा 1.13 बीघा सिवायचक आबादी भूमि व ख.नं. 108/2 रकबा 1.18 बीघा सिवायचक गै.मु. तथा ख.नं. 104/1 रकबा 2.02 बीघा सिवायचक एवं ख.नं. 104/2 रकबा 6.00 बीघा भूमि खातेदार पांचू पुत्र लादू जाति बैरवा सा. सावांकाबास के

लगातार.................4

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

नाम दर्ज रिकार्ड है। ख0नं0 108/1 सिवायचक आबादी के लगवा ख.नं. 104 मूल रूप से 8.02 बीघा भूमि का है जिसमें मुताबिक रिकार्ड ख.नं. 104/1 रकबा 2.02 बीघा सिवायचक गै.मु. आबादी है एवं ख.नं. 104/2 रकबा 6.00 बीघा भूमि पांचू पुत्र लादू कौम बैरवा की खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण की स्थिति न तो खातेदार की है ना ही वह ग्राम पंचायत का प्रतिनिधि है। प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया गया जिस से साबित हो की उक्त तरमीम दुरूस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबूत के अभाव मे खारिज किया जाना न्यायोचित समझते है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तरमीम दुरूस्ती खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/7/24

राकेश कुमार II
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला दूदू